निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 87 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार** के माह **10/2017 से 10/2018 त**क के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, स0ले0प0 अधि0, श्री मनीष श्रीवास्तव, स0ले0प0 अधि0 तथा श्री गौरव रावत, लेखा परीक्षक द्वारा श्री जगमोहन सिंह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, के पर्यवेक्षण में दिनांक **26.11.2018 से 05.12.2018** तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री राजेश सिन्हा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री सतवीर सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 02/11/2017 से 15/11/2017 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमे माह 09/2016 से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी।
   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2017 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार** में लोक निर्माण विभाग के निर्माण एवं रख-रखाव के कार्य/ कार्य क्षेत्र वृत्त-हरिद्वार इकाई को बजट आंवटन- राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा दिया जाता है |

1. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

(` लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		मुख्य लेखाशीर्ष	स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2016-17	_	_	2059 5054 3054	576.55	506.02	- 2012.37 457.28	- 2012.37 457.28		
2017-18	_	-	2059 5054 3054 2059 2245	590.90	331.40	- 2875.60 4557.28 5.0 23.69	- 2875.60 457.28 5.0 23.69		.
2018-19 (upto 09/2018)		-	2059 5054 3054	534.78	419.62	- 1490 381.58	- 1053.51 1866.74		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि लाख रु. में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2015-16	**शून्य**				
2016-17					
2017-18)					
2018-19					

2. इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **"ए"** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

    1. सचिव
    2. प्रमुख अभियंता
    3. मुख्य अभियंता
    4. अधीक्षण अभियंता
    5. अधिशासी अभियंता

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/2018** को विस्तृत जांच हेतु अधिक व्यय के आधार पर चयनित किया गया। विस्तृत जांच हेतु लेखापरीक्षा अवधि मे अधिक व्यय के आधार पर " **लालढ़ांग-रसूलपुर-मिठीबेरी के मध्य रवासन नदी पर 300 मी0 स्पान RCC Prestressed double lane सेतु का निर्माण"** का चयन किया गया।

1. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि मे दिनांक ..... से ..... का निरीक्षण किया गया।

3. खंड के भडार लेखो की अर्धवार्षिकी लेखाबन्दी माह **12/2010** तथा यंत्र-सयन्त्र लेखो की वार्षिक लेखाबन्दी माह **09/2018** तक की गयी।

4. फार्म-51 माह **12/2016** तक कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं ह0) उत्तराखंड देहारादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं दितीय के अवशेष निम्नवत है : .

भाग प्रथम:..रु (-) 1439184.00

भाग दितीय: रु 1061365.00

5. खंड के उच्यंत लेखो का अवशेष माह **10/2018** के अंत मे

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम : रु 7255928.00

(ख) सामग्री क्रय : रु 0.00

(ग) नगद परिशोधन : ` 0.00

(घ) निक्षेप : रु 80047569.00

(ङ) भंडार : रु (-) 4826619.00

भाग-II (अ)

प्रस्तर-1 : पुल हेतु पहुँच मार्ग का निर्माण न होने से रु 744.00 लाख का व्यय निष्फल रहना।

जनपद हरिद्वार मे लक्सर एवं नजीबाबाद के मध्य बालवाली मे गंगा नदी पर रेलवे पुल के सुदृढीकरण एवं डैंकिंग कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति माह मार्च 2013 मे रु 871.20 लाख की प्रदान की गयी थी एवं इतनी ही धनराशि की प्राविधिक स्वीकृति माह जनवरी 2014 मे मुख्य अभियंता स्तर-1, देहारादून क्षेत्र द्वारा प्रदान की गयी थी। प्रांतीय खंड लो0 नि0 वि0, हरिद्वार की लेखापरीक्षा माह दिसंबर 2018 मे पाया गया कि उपरोक्त मार्ग पर 25 गांवो की आबादी को लाभ तथा साथ ही अन्तर्राजीय मे उपयोगी होने एवं पंजाब, हरियाणा, सहारनपुर, रुड़की से नजीबाबाद जाने के लिए 50 किमी दूरी कम करने एवं हरिद्वार शहर को जाम से निजात दिलाने के उद्देश्य से इस पुल पर कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य माह दिसंबर 2016 मे पूर्ण किया जा चुका था एवं कार्य पर लेखापरीक्षा तिथि तक कुल रु 674.00 लाख व्यय किया जा चुका था। पुल का कार्य पूर्ण था किन्तु उत्तरप्रदेश की तरफ पहुँच मार्ग का निर्माण प्रारम्भ ही नहीं किया गया था जबकि पुल की स्वीकृति प्राप्त हुये लगभग 07 वर्ष पूर्ण हो गए थे एवं पहुँच कार्य को छोडकर पुल के अन्य कार्य पूर्ण हुये 02 वर्ष हो चुके थे। खंड द्वारा न तो पहुँच मार्ग का आगणन तैयार किया गया था और न ही भूमि की अनुमति लेने हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी।

लेखापरीक्षा के पुछे जाने पर खंडीय उत्तर मे स्वीकार्य किया गया कि उत्तरप्रदेश की ओर अप्रोच मार्ग बनाए जाने हेतु उत्तरप्रदेश सरकार से भूमि की अनुमति लेने की कार्यवाही की जानी है।

खंड की स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि खंड द्वारा बिना भूमि के स्वीकृति प्राप्त किए ही कार्य प्रारम्भ किया एवं कार्यपूर्ण होने के दो वर्ष बाद भी पुल तैयार था किन्तु पहुँच मार्ग हेतु भूमि का अर्जन नहीं किया जा सका था, जो वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड- VIके प्रस्तर 378 का भीं उल्लंघन था जिसके अनुसार भूमि अपने पक्ष मे करने पर ही कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिए था।

अतः सेतु कार्य पर रु 674.00 लाख व्यय होने एवं पुल तैयार होने के बाद भी पहुँच मार्ग हेतु भूमि अर्जन/ स्वीकृति न होने के कारण कार्य अपूर्ण रहने एवं आमजन को इसका लाभ न मिलने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर -1: वित्तीय नियमावली का उल्लंघन करते हुये एवं विभागीय शिथिलता के कारण रु 958.04 लाख व्यय के उपरांत भी कार्य का अपूर्ण एवं अलाभकारी रहना।

As per Financial Handbook Volume-6 clause :

379- The authority granted by a sanction to an estimate must on all occasions be looked upon as strictly limited by the precise objects for which the estimate was intended to provide.

382- In the case of works, the estimated for which have been sanctioned by the Government in the Finance Department no alterations or additions likely to cause an excess should be permitted without the previous approval of the Government in the Finance Department. In case, the matter is of extreme urgency a telegraphic report of the circumstances should be sent for the orders of the Government in the Finance Department.

383- Where important structural alterations are contemplated, though not necessarily involving an increased outlay, the orders of the original sanctioning authority should be obtained. A revised estimate should be submitted for technical sanction should the alterations involve any substantial change in the cost of the work.

उत्तराखंड शासन द्वारा जनपद हरिद्वार मे लालढ़ांग-रसूलपुर- मिठीबेरी के मध्य रवासन नदी पर खंड द्वारा प्रस्तावित 300 मी0 स्पान आरसीसी प्री-स्ट्रेसड डबल लेंन सेतु के सापेक्ष 200 मी0 लंबाई स्पान सेतु के निर्माण हेतु रु 1916.42 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (सितंबर 2016) जिसकी प्राविधिक स्वीकृति 300 मी0 हेतु रु 1916.42 लाख हेतु प्रदान की गई (दिसंबर 2016)। कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध 34/SE-CC/2016-17 दिनांकित 16.03.2017 रु 1856.50 लाख हेतु गठित की गई जिसके अनुसार कार्य समाप्त होने की तिथि 15.09.2018 थी।फार्म-64 के अनुसार (अक्टूबर 2018) वर्तमान तक कार्य पर कुल व्यय रु 718.10 लाख था।

अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लो0 नि0 वि0, हरिद्वार के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (नवंबर 2018) मे पाया गया कि खंड द्वारा वित्तीय नियमावली के विपरीत न केवल शासन द्वारा 200 मी0 स्पान हेतु दी गयी स्वीकृति के सापेक्ष 300 मी0 स्पान लंबाई मे सेतु निर्माण हेतु उक्त धनराशि की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी अपितु 240 मी0 स्पान हेतु अनुबंध गठित कर कार्य प्रारम्भ किया गया। खंड द्वारा यह विदित होने के बावजूद कि स्वीकृत धनराशि (200 मी0 स्पान) के अंदर 240 मी0 स्पान का सेतु नहीं बनाया जा सकता, निविदादाता की लागत अनुमानित लागत से अधिक आने के बावजूद बिना पुनरीक्षित डिज़ाइन की शासकीय स्वीकृति प्राप्त किए और बिना पुनः निविदा आमंत्रित किए protection मद के कुछ कार्यो मे कमी करते हुये अधिक लागत पर अनुबंध गठित कर कार्य प्रारम्भ किया गया। इसके अतिरिक्त, अधीक्षण अभियंता की निरीक्षण टिप्पणी के अनुसार (जुलाई 2018) न केवल मिठीबेरी की तरफ सेतु के पहुच मार्ग हेतु जमीन का

अधिग्रहण भी नहीं किया गया था अपितु दिसंबर 2018 के पश्चात किसी भी तरह की समयावृद्धि भी देने से इंकार किया गया था जबकि अनुबंध समाप्ति की तिथि के 02 माह बाद भी वर्तमान तक औसतन मात्र 63 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण किया गया था जबकि उच्चाधिकारिओ दारा कार्य मे उक्त देरी हेतु समयवृद्धि भी प्राप्त नहीं थी।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया कि मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता मे हुयी वित्त समिति की बैठक (अगस्त 2018) मे निर्णय लिया गया कि यदि लो0 नि0 वि0 को किसी स्तर पर डी0 पी0 आर0 मे संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो यह DPR को पुनर्विचार हेतु व्यय समिति को प्रस्तुत कर सकता है जिसके आलेख मे स्वीकृति की प्रत्याशा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी एवं डीपीआर शासन को प्रेषित की गयी (माह दिसंबर 2016) जिस पर स्वीकृति अप्राप्त थी । पंहुच मार्ग हेतु भूमि का अधिग्रहण न होने के संबंध मे खंड द्वारा बताया गया कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शीघ्र किए जाने का प्रयास किया जाएगा।

खंड का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि शासन द्वारा खंड के प्रस्ताव के विपरीत मात्र 200 मी0 स्पान सेतु की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कि गयी थी जिसके बावजूद खंड द्वारा न केवल 300 मी0 स्पान हेतु प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की गयी अपितु 240 मी0 स्पान हेतु अनुबंध गठित की गयी। वित्तीय नियमावली के अनुसार Original design मे किसी भी deviation से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है जिसके बिना कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सकता जबकि तथ्य यह है की खंड द्वारा पुनरीक्षित डीपीआर को प्रेषित किए जाने के 22 माह बाद भी उसकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अप्राप्त थी एवं इसके अतिरिक्त पंहुच मार्ग हेतु वर्तमान तक भूमि का अधिग्रहण भी नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त अनुबंध समाप्ति की तिथि के 02 माह बाद भी मात्र 63 प्रतिशत कार्य का ही पूर्ण होना एवं सक्षम अधिकारी से समयवृद्धि प्राप्त न होने के बावजूद ठेकेदार से रु 111.39 लाख की धनराशि के Liquidated damage की वसूली भी नहीं की गयी थी जो विभागीय शिथिलता का ज्ञोतक है। उक्त प्रकरण के अतिरिक्त खंड द्वारा वास्तविक भुगतान की गयी धनराशि रु 958.04 लाख (11th running बिल- voucher no-08 dated 02/11/2018) एवं फार्म-64 मे अंकित धनराशि रु 718.10 के अंतर रु 239.94 लाख संबंध मे भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

अतः खंड द्वारा वित्तीय नियमो का उल्लंघन करते हुये रु 958.04 लाख व्यय के उपरांत भी कार्य के अपूर्ण एवं अलाभकारी रहने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर -2 : ` 7.05 करोड़ के कार्य scope of work से हटाने व ठेकेदार को ` 703.10 लाख का अनियमित रूप से लाभ पहुंचाया जाना।

राज्य योजना 2013-14 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में मुजाहिद सत्तीवाला ग्राम में रतमऊ नदी पर (.400+450 मी स्पान) पुल एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 6808/111(2)/13-03(आश्वासन)/2013 दिनांक 06.01.2014 द्वारा प्राप्त हुई। मुख्य अभियंता स्तर-1, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के पत्रांक 369/10(हरि)याता॰ स्तर-1 (क्षे॰का॰)/2014 दिनांक 28.02.2014 के द्वारा रू॰ 3318.20 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई व फ़तेहपुर (पी एस) से खेड़ी शिकोहपुर-झीबरेहोड़ी-सिकरोड़ा-बेलकी मसही-हद्दीवाला से पिरान कलियर मार्ग के किमी 4 में सोनल नदी पर 630 मी स्पान आरसीसी प्रीस्ट्रेस्ड सेतु एवं 0.450 मी पहुँच मार्ग का निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 1000/11(2)/14-03(प्रा॰आ॰)/2013 दिनांक 22.02.2014 द्वारा प्राप्त हुई। मुख्य अभियंता स्तर-1, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के पत्रांक 361/12(हरि॰)याता॰ स्तर-1(क्षे॰का॰)/2014 दिनांक 01.03.2014 के द्वारा रू॰ 3952.84 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई।

इकाई की लेखापरीक्षा में पाया गया कि उक्त दोनों कार्य हेतु M/S NKG Infrastructure Ltd. से क्रमशः 22/SE-HDR/2014-15 दिनांक 18.10.2014 (अनुबंधित लागत रू॰ 3224.89 लाख) व 21/SE-HDR/2014-15 दिनांक 18.10.2014 (अनुबंधित लागत रू॰ 3806.05 लाख) का अनुबंध गठित किया गया। अनुबंध गठित करते समय दोनों ही कार्यों में कुल मिला कर रू॰ 7.05 करोड़ (क्रमशः रू॰ 3.34 करोड़ व रू॰ 3.81 करोड़) लागत के मदों को scope of work से कम कर दिया गया। scope of work से कम किए गए मद 11% से 97% तक कम किए गए। आगे पाया गया कि उक्त कार्य अनुबंध के अनुसार दिनांक 17.04.2016 को पूर्ण हो जाने चाहिए परन्तु कार्य समाप्ति की तिथि के 2 ½ व्यतीत हो जाने के बावजूद कार्य अपूर्ण थे। अनुबंध की शर्तो के अनुसार उक्त विलम्ब के लिए ठेकेदार पर अनुबंध लागत का 10 % (रू॰ 70.31 लाख) का liquidated damage आरोपित किया जाना चाहिए था जो न करके सीधे तौर पर ठेकेदार को रू॰ 70.31 लाख का लाभ पाहुचाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंडीय आख्या में बताया गया कि निविदा अधिक लागत पर आने के कारण उपलब्ध धनराशि में कार्य स्थल पर आवश्यकतानुसार अति आवश्यक मदों को सम्मलित किया गया व विगत वर्षो में हुई अतिवृष्टि के कारण वर्षा ऋतु में कार्य नहीं किया जा सका जिस कारण विलम्ब हुआ। इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि तकनीकी स्वीकृति के बाद scope of work को बिना उच्च अधिकारियों के अनुमति नहीं बदलना चाहिए व अतिवृष्टि के कारण वर्षा ऋतु में कार्य न होने के कारण मात्र छः माह का विलम्ब मान्य हो सकता है 2 ½ वर्ष का नहीं।

अतः ` 7.05 करोड़ के कार्य scope of work से हटाने व ठेकेदार को ` 703.10 लाख का अनियमित रूप से लाभ पहुंचाए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
19/2003-04	-	2-
47/2004-05	3	-
71/2005-06	1	3
21/2008-09	2	-
44/2009-10	2	2
43/2011-12	2	2
91/2012-13	6	3
64/2013-14	2	2
07/2015-16	1	1
12/2016-17	-	1,2
51/2017-18	1	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
Nil				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

……Nil……

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   - **A. माह 12/2016 के उपरान्त के फार्म-51 तैयार नहीं किए गए थे।**
   - **B. माप पुस्तिका संख्या- 482L (फोरम-51)**
   - **C. कतीय कार्य पर फार्म-64 में व्यय वास्तविक व्यय से काफी कम दर्शाया गया है।**
2. **सतत् अनियमितताएः शून्य**
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

नाम	पदनाम	अवधि
श्री एस के गर्ग,	**अधिशासी अभियंता**	**24.07.2017 से 20.12.2017**
श्री आर पी नेथानी,	**अधिशासी अभियंता**	**20.12.2017 01.01.2018**
श्री एस के गर्ग,	**अधिशासी अभियंता**	**01.01.2018 से 31.05.2018**
श्री सत्यवीर सिंह,	**अधिशासी अभियंता**	**31.05.2018 से 11.06.2018**
श्री एस के गर्ग,	**अधिशासी अभियंता**	**11.06.2018 से 27.08.2018**
श्री अशोक चौहान,	**अधिशासी अभियंता**	**27.08.2018 से 27.09.2018**
श्री सत्यवीर सिंह,	**अधिशासी अभियंता**	**27.09.2018 से 16.10.2018**
श्री एस के गर्ग,	**अधिशासी अभियंता**	**16.10.2018 से 17.10.2018**
श्री दीपक कुमार,	**अधिशासी अभियंता**	**17.10. 2018 से वर्तमान तक**

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से सम्बद्ध रहे-**

नाम	पदनाम
श्री अतर सिंह चौहान	**खंडीय लेखा अधिकारी**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन

आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ (आर्थिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र-2